

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./नि./वि.अनु./एबीएन/684/2748

भोपाल दिनांक 29/05/2023

प्रति,

ABN (Anant Bhavishya Nirman) Multi State Agro Purpose Cooperative Society Limited, H-1<sup>st</sup> Floor, Amar Complex, Near Over Bridge, Kalukunwa, Dist-Banda, Uttar Pradesh-210001

विषय:- म प्र.कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति में क्रय केंद्र जोड़े जाने के संबंध में।

संदर्भ:- एबीएन मल्टी स्टेट एग्रो परपज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. उत्तर प्रदेश का आवेदन दिनांक 12/05/2023.

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति में कृषि उपज मण्डी समिति शाहगढ को निरस्त कर कृषि उपज मण्डी समिति देवास एवं विदिशा के क्षेत्रान्तर्गत 02 क्रय-केन्द्र हेतु अनुमति चाही गई है।

2. पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/वि.अनु./एबीएन मल्टी स्टेट/684/2592 दिनांक 31/03/2023 से कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर, टीकमगढ, दमोह, अशोकनगर, सागर, गंजबासौदा, शाहगढ एवं पिपरिया के लिए विशेष अनुज्ञप्ति एक वर्ष के लिए स्वीकृत की गई है।

3. अतः आपके आवेदन पर विचार किया जाकर उक्त स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/30 दिनांक 31/03/2023 में मंडी शाहगढ को विलोपित कर, कृषि उपज मण्डी समिति देवास एवं विदिशा के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज केवल विनिर्दिष्ट समूह (पांच)-धान्य तथा दलहन के व्यवसाय हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। संशोधित अद्यतन विशेष अनुज्ञप्ति का प्ररूप-3 में परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

9.

(गौतम सिंह)

प्रबंधक  
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। एबीएन मल्टी स्टेट एग्री परपज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि. उत्तर प्रदेश को म प्र कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 एवं नियम 12 के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति जबलपुर, टीकमगढ़, दमोह, अशोकनगर, सागर, गंजबासौदा, पिपरिया, विदिशा एवं देवास में उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है। विनिर्दिष्ट मण्डी प्रांगण में अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।
2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति..... जिला..... (म प्र) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। म प्र कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम 4, 8, 10 एवं 12 के अधीन जारी उपरोक्तानुसार विशेष अनुज्ञप्ति (जो अधिसूचित कृषि उपज केवल "धान्य तथा दलहन" के लिए स्वीकृत की गई है, की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।
3. सहायक संचालक (आईटी), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी एबीएन मल्टी स्टेट एग्री परपज को-ऑपरेटिव सोसाइटी.लि. उत्तर प्रदेश को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में ई-अनुज्ञा पोर्टल पर उक्तानुसार आवश्यक संशोधन किया जाये।

9  
प्रबंध संचालक  
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल



मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन

(नियम 8 देखिये)

(एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2023/30 दिनांक 06/02/2023

(दिनांक 29/05/2023 को यथासंशोधित)

1. श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स ABN (Anant Bhavishya Nirman) Multi State Agro Purpose Cooperative Society Limited, H-1st Floor, Amar Complex, Near Over Bridge, Kalukunwa, Dist-Banda, Uttar Pradesh-210001 को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख 06 फरवरी वर्ष 2023 को विशेष अनुज्ञप्ति अनन्तिम रूप से दी गई है :-

अनु क्र०	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारोबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/की गई है।	विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारोबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारोबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	धान्य तथा दलहन	जबलपुर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर जिला जबलपुर	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री केशव नाथतिवारी मो.नं-9919802050
2	धान्य तथा दलहन	टीकमगढ़	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री देवेन्द्र चौबे, मो. नं-9752745965
3	धान्य तथा दलहन	दमोह	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति दमोह जिला दमोह	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री केशव नाथ तिवारी मो.नं-9919802050
4	धान्य तथा दलहन	अशोकनगर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति	मध्यप्रदेश स्टेट	-	श्री केशव नाथ तिवारी मो.नं-9919802050

			अशोकनगर जिला अशोकनगर	वेयरहाउस		
5	धान्य तथा दलहन	सागर	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति खुरई जिला सागर	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री केशव नाथतिवारी, मो.नं 9919802050
6	धान्य तथा दलहन	गंजबासौदा	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा जिला विदिशा	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री केशव नाथतिवारी, मो.नं9919802050
7	धान्य तथा दलहन	पिपरिया	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति पिपरिया जिला नर्मदापुरम	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस		श्री केशव नाथतिवारी, मो.नं 9919802050
8	धान्य तथा दलहन	विदिशा	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति विदिशा जिला विदिशा	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री केशव नाथ तिवारी, मो.नं-9919802050
9	धान्य तथा दलहन	देवास	अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति देवास जिला देवास	मध्यप्रदेश स्टेट वेयरहाउस	-	श्री केशव नाथ तिवारी, मो.नं- 9919802050

2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केन्द्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र०	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में) {नियम 4 (2) देखिए}
1	धान्य तथा दलहन	2,000 मेट्रिक टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा:-

1. इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरुष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था



6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किंग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक 06/02/2023 से 05/02/2024 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रदद की जा सकेगी।

- 5 यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-
- (एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर,
  - (दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर,
  - (तीन) मण्डी फीस का अपवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर,
  - (चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर,
  - (पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने पर,
  - (छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर,
  - (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर,

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता  
कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल (म.प्र.)